

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का आपराधिक आवेदन (डी.बी.) सं. 548

वर्ष 2015 के थाना वाद सं. 35, थाना- कलुआही, जिला- मधुबनी से उद्भूत

रमाशीष सिंह, पुत्र- स्वर्गीय अशरफी सिंह, निवासी- गाँव- लक्ष्मीपुर, थाना- कलुआही, जिला- मधुबनी।

... .. अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. उत्तरदाता/ओं

के साथ

2018 का आपराधिक आवेदन (डी.बी.) सं.536

थाना वाद सं. 35, थाना- कलुआही, जिला- मधुबनी से उद्भूत

प्रमोद राय, पुत्र- स्वर्गीय गणौर राय, निवासी- गाँव- अवपुर, थाना- पुपारी, जिला- सीतामढ़ी

... ..अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति:

(2018 के आपराधिक आवेदन (डी.बी.) संख्या 548 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
श्री मो. इम्तियाज अहमद, अधिवक्ता
श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
श्री ऋत्विक् ठाकुर, अधिवक्ता
श्री प्रांशु, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री अभिमन्यु शर्मा, एपीपी
(आपराधिक आवेदन (डीबी) सं. 2018 का 536)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
श्री अशोक कुमार झा, अधिवक्ता
श्री ऋत्विक् ठाकुर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री अभिमन्यु शर्मा, एपीपी

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील

माना गया - नशीले पदार्थों के वजन और उसकी सीलिंग के संबंध में साक्ष्य कमजोर हैं। - सामग्री का प्रदर्शन भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष नहीं लाया गया। (पैरा 37)

एक थाने के मालखाने में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ रखा हुआ था. इतनी मात्रा में नशीले पदार्थों का क्या हुआ होगा यह अज्ञात है। (पैरा 38)

दो स्वतंत्र जब्ती-सूची गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है। (पैरा 40)

गांजा एक मोटरसाइकिल की डिग्गी से बरामद किया गया जिसके कब्जे का पता नहीं चल सका। अपीलकर्ता की मौखिक स्वीकारोक्ति के आधार पर ही उस पर ऐसी वसूली का भार डाला गया था। (पैरा 42)

एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं की सजा कानून की नजर में खराब है। (पैरा 45)

याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। (पैरा 48)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक: 18-09-2024

हमने श्री अजय कुमार ठाकुर, को दोनों अपीलों में एवं श्री अभिमन्यु शर्मा विद्वत अतिरिक्त पीठासीन अभियोजक को सुना।

2. दोनों अपीलों पर एक साथ विचार किया गया है और इस समान निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

3. अपीलार्थी/रामाशीष सिंह [2018 का आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 548] को एन.डी.पी.एस. 1 अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 20 (बी) (ii) (सी), एवं 22 (सी), 24 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए), 25 (1-ए. ए) और आई. डी. 3 के तहत दिनांकित 15.03.2018 के निर्णय के माध्यम से दोषी ठहराया गया है।

4. अपीलार्थी/प्रमोद राय [2018 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 536] को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) और 22 (सी) के तहत दोषी ठहराया गया है।

5. दिनांक 05.04.2018 के आदेश के अनुसार, अपीलार्थी/रामाशीष सिंह को 15 साल के लिए आर. आई. से गुजरने की सजा सुनाई गई है एवं रू० 2 लाख का जुर्माना और जुर्माने के भुगतान में चूक होने के, तहत एक वर्ष के लिए आगे अधिनियम की धारा 20(बी) (ii) के साथ पठित धारा 22 (सी) अधिनियम की धारा 22(सी) के साथ पठित धारा 20 (बी) (ii) (सी) को अधिनियम की धारा 22 (सी) के साथ पढा जाता है; आर. आई. को दस साल के लिए, रू. 1 लाख और जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर, अधिनियम की धारा 24

के तहत छह महीने के लिए आर. आई. को और पीड़ित करना होगा; तीन साल के लिए आर. आई. को 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। 3000/- और जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) के तहत दो महीने के लिए आर. आई. भुगताना होगा; सात साल के लिए आर. आई., रुपये का जुर्माना देना होगा। 1000/- और शस्त्र अधिनियम और आर. आई. की धारा 25 (1-ए. ए.) के तहत पांच महीने के लिए आर. आई. को और तीन साल के लिए जुर्माने का भुगतान करने में चूक करने पर 500/- रुपये का जुर्माना देना होगा। 3000/- और शस्त्र अधिनियम की धारा 26/35 के तहत दो महीने के लिए आर. आई. को और पीड़ित करने के लिए जुर्माने के भुगतान में चूक।

6. सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

7. उसी दिनांक 05.04.2018 के आदेश द्वारा, अपीलार्थी/प्रमोद राय को छह महीने के लिए आर. आई. से गुजरने की सजा सुनाई गई है, जिसमें रुपये 5000/- का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर आगे के लिए रू० 5000/- का आर. आई. को और नुकसान होगा एवं भुगतान के चूक पर अधिनियम 22 (सी) के साथ पठित धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत एक माह को अगला आर.आई. का एक महीना माह का भुगताना पड़ेगा।

8. अपीलार्थी/रामाशीष सिंह के रचनात्मक कब्जे से, 525 किलोग्राम गांजा; 2.270 किलोग्राम चरस, आग्नेयास्त्रों, गोलियों का एक बड़ा जखीरा और रू० 89, 000/- की वसूली की गई। अपीलार्थी/प्रमोद राय की मोटरसाइकिल की डिक्की से 650 ग्राम गांजा बरामद किया गया है।

9. दिलीप कुमार सरकार (पीडब्लू-5) नामक व्यक्ति ने मधुबानी जिले के कलुआही पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को संबोधित करते हुए एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि लगभग 8:30 बजे सुबह, उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि खजौली और कलुआही पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव लक्ष्मीपुर में

भारी मात्रा में मादक पदार्थ रखे गए हैं। ऐसी जानकारी मिलने पर, पीडब्लू-5 ने एक विशेष दल का गठन किया जिसमें उनका एक अधीनस्थ अधिकारी और लगभग 26 कांस्टेबल शामिल थे और उस दल के साथ खजौली पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उन्होंने खजौली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी बृज किशोर सिंह (पी डब्लू 2) से मुलाकात की। उन्होंने मदद करने की पेशकश की और वह खुद खजौली पुलिस स्टेशन के एक अन्य अधिकारी के साथ, लाल बाबू पासवान (पीडब्लू-3) उनके और उनकी टीम के साथ गाँव लक्ष्मीपुर गए। लक्ष्मीपुर में पीडब्लू-5 को पता चला कि अपीलार्थी/रामाशीष सिंह के पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ हैं। इसके बाद दल अपीलार्थी/रामाशीष सिंह के घर गया। दो लोग घर के बाहरी आँगन में बैठे हुए आपस में बात करते हुए पाए गए। यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके पास कुछ मात्रा में डिब्बाबंद गांजा भी रखा गया था। जब यह सब किया जा रहा था, कलुआही पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, अर्थात, मो. जकील अख्तर (पीडब्लू-1) और खंड विकास अधिकारी, कलुआही, अरुण कुमार निराला (पीडब्लू-7) भी पहुंचे। दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में अर्थात अजीत कुमार और बैदनाथ राय, जिन दोनों से मुकदमे में पूछताछ नहीं की गई है, तलाशी और जब्ती की गई। अपीलार्थी (रामाशीष) के घर के विभिन्न स्थानों से 525 किलोग्राम गांजा एवं 2.270 किलो चरस बरामद किया। इसके अलावा बड़ी संख्या में हथियार, कारतूस, मैगजीन आदि भी बरामद किए गए।

10. दोनों याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जब्ती-सूची पर स्वतंत्र गवाहों के साथ-साथ स्वयं पीडब्लू-5 और अन्य पुलिस अधिकारियों और बीडीओ, कलुआही (पीडब्लू-7) द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए थे। जब्त वस्तुओं के साथ, पीडब्लू-5 कलुआही पुलिस स्टेशन के लिए आगे बढ़ा और जब्त किए गए नशीले पदार्थों को पीडब्लू-1 को सौंप दिया, जिसे कलुआही पुलिस स्टेशन के *मलखाना* में रखा गया था।

11. उपरोक्त टिप्पणीकृत नारकोटिक्स (*गांजा* एवं *चरस*) एवं आग्नेयास्त्र के लिए, एक वाद एन.डी.पी.एस, की धारा 20, 21 एवं 22 के तहत एक वाद कलुआही में किए गए

अपराधों के लिए एवं आग्नेयाशस्त्र अधिनियम धारा 25 (1-बी-ए)/26/25/25(1-ए.ए)/35 के तहत अपीलार्थियों के खिलाफ जाँच हेतु पंजीकृत किया गया।

12. निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों से पूछताछ करने के बाद दोषारोपित किया एवं अपीलार्थियों को उपरोक्त रूप से सजा सुनाई गई।

13. इतनी बड़ी बरामदगी की पृष्ठभूमि में, श्री ठाकुर ने सबसे पहले तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष का मामला वैधानिक प्रावधानों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर खारिज किया जाना उचित है अर्थात्, अधिनियम की धारा 42 और 52 ए, कानून की नजर में पूरे मामले को संदिग्ध बनाती है।

14. दूसरा, यह तर्क दिया गया है कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बात का संकेत दे कि रासायनिक परीक्षण के लिए जब्त मादक पदार्थों से नमूने कैसे और कब लिए गए थे।

15. यह भी आग्रह किया गया है कि मुजफ्फरपुर और कोलकाता की प्रयोगशालाओं में नमूने पहुंचने में भारी देरी हुई है, भले ही वे विशेष दूत द्वारा भेजे गए थे।

16. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तर्क दिया गया है कि सामग्री, मादक पदार्थ या उसकी विनाश रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी एवं प्रतिवेदन निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई और इस प्रकार मामले में प्राथमिक साक्ष्य गायब है।

17. श्री ठाकुर ने इस पृष्ठभूमि में जब्ती-सूची के गवाहों से पूछताछ न करने पर भी जोर दिया है। उनका तर्क है कि यह सब अभियोजन पक्ष की कमजोरी और अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में इसकी विफलता को बढ़ाता है।

18. उपर्युक्त दलीलों के विपरीत, श्री अभिमन्यु शर्मा ने तर्क दिया है कि पूरी तलाशी और जब्ती प्रक्रिया एक खंड विकास अधिकारी द्वारा देखी गई थी। अभिलेख इंगित करते हैं कि कोई समय बर्बाद नहीं करते हुए, अदालत से नमूने लेने और एफएसएल को भेजने की

अनुमति प्राप्त की गई थी। हालांकि सी. एफ. एस. एल. में नमूने प्राप्त करने में कुछ देरी हुई है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में नमूनों के साथ छेड़छाड़ की जाए। यह स्वीकार करते हुए भी कि जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष नमूने लिए गए थे, उनकी जांच नहीं की गई है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि नमूना लेने की प्रक्रिया की देखरेख मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं की गई थी जैसा कि अधिनियम की धारा 52 ए के तहत निर्धारित किया गया था और साथ ही स्थायी निर्देश संख्या 88 का 1 और 89 का 1 जो इस मामले के तथ्यों में लागू होगा।

19. आग्नेयास्त्रों की बरामदगी के संबंध में, श्री शर्मा ने तर्क दिया है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाने के लिए किसी व्यक्ति के घर पर आग्नेयास्त्रों का इतना बड़ा गुप्त भंडार नहीं लगाया जा सकता है। सभी हथियारों और गोला-बारूद को ठीक से जब्त कर लिया गया, चिह्नित किया गया और कलुआही पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंप दिया गया। उन हथियारों को बैलिस्टिक परीक्षण और सार्जेंट मेजर अर्थात् कल्पनीय सिंह के लिए भेजा गया था, कल्पनाथ सिंह (पीडब्लू-9) ने बताया है कि गोला-बारूद सभी जीवित थे और हथियार उपयोग करने योग्य थे।

20. दोनों अपीलार्थियों ने आग्नेयास्त्रों और नशीले पदार्थों से निपटा, एक घातक संयोजन, जो सभी अपराधों का स्रोत है।

21. हमने अभिलेखों की विस्तार से जांच की है। हमारे लिए जो बात स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य है वह यह है कि अधिनियम की धारा 42 में निहित प्रावधानों का दंड से मुक्ति के साथ उल्लंघन किया गया है। धारा 42 में आदेश दिया गया है कि यदि किसी अधिकारी को किसी भी सूचना पर छापा मारा जाता है, तो छापा मारने से पहले, उसे उस जानकारी को लिखना होगा या दर्ज करना होगा। ऐसी जानकारी की शुद्धता के बारे में उसके विश्वास के लिए आधार और 72 घंटों के भीतर अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को लिखित

रूप में कम की गई पूर्व उल्लिखित जानकारी की एक प्रति तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजना भी आवश्यक है।

22. सूचना देने वाले पीडब्लू-5 को लगभग 8:30 बजे पूर्वाह्न में 20.05.2015 को गोपनीय जानकारी मिली। हालांकि उन्होंने तेजी से कार्रवाई की और एक टीम का गठन किया और फिर उस संदिग्ध स्थान पर चले गए जहां कथित तौर पर आग्नेयास्त्र और मादक पदार्थ रखे गए थे, लेकिन इस तरह की जानकारी दर्ज करने और 72 घंटों के भीतर वरिष्ठ अधिकारी को भेजने से चूक गए, जिससे आरोप कुछ हद तक संदिग्ध हो जाता है।

23. बहुत पहले, *अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य (2000) 2 एससीसी 513 और साजन अब्राहम बनाम केरल राज्य (2001) 6 एससीसी 692* में यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी भी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने पर अधिकारी को इसे संबंधित रजिस्टर में लिखित रूप में दर्ज करना था और धारा 42 के अनुसार अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी एक प्रति अधिनियम की धारा 42 के अनुसार भेजना था। हालांकि, यदि सूचना तब प्राप्त होती है जब अधिकारी पुलिस स्टेशन में नहीं होता है, लेकिन जब वह गश्ती ड्यूटी पर या अन्यथा या मोबाइल फोन या अन्य माध्यमों से चल रहा होता है और जानकारी के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है और किसी भी देरी के परिणामस्वरूप माल या साक्ष्य को हटा दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है, तो धारा 42 का पूर्ण अनुपालन करना संभव या व्यावहारिक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, वह कार्रवाई कर सकता था और उसके बाद ही, जैसे ही यह व्यावहारिक हो, लिखित रूप में जानकारी दर्ज कर सकता था और तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को सूचित कर सकता था।

24. ऊपर निर्दिष्ट दोनों मामलों में, यह देखा गया कि धारा 42 की आवश्यकताओं का अनुपालन सामान्य रूप से अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी और जब्ती से पहले होना चाहिए; लेकिन विशेष परिस्थितियों में, आकस्मिक स्थितियों को शामिल करते हुए, लिखित रूप में

जानकारी दर्ज करना और इसकी एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजना, एक उचित अवधि के लिए स्थगित किया जा सकता है। सवाल तात्कालिकता और अनुभव का है।

25. **करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2009) 8 एस सी सी 539** उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि जबकि धारा 42 की आवश्यकता का पूर्ण गैर-अनुपालन अस्वीकार्य है, विलंब के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ विलंबित अनुपालन धारा का स्वीकार्य अनुपालन होगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी जानकारी बिल्कुल भी दर्ज नहीं करता है, और उससे वरिष्ठ अधिकारी को बिल्कुल भी सूचित नहीं करता है, तो यह अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन होगा। हालाँकि, प्रत्येक मामले में यह तय किया जाना आवश्यक है कि धारा 42 का उचित या पर्याप्त अनुपालन है या नहीं का निर्णय प्रत्येक वाद में आवश्यक है या नहीं। **राजस्थान राज्य बनाम जगराज सिंह उर्फ (2016) 11 एस. सी. सी. 687; बूटा सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2021) 19 एस. सी. सी. 606]** का भी उल्लेख करें।

26. वर्तमान मामले में साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पीडब्लू-5 ने लिखित रूप में जानकारी दर्ज नहीं की और न ही उसने कभी अपने वरिष्ठ अधिकारी को कोई रिपोर्ट भेजी।

27. दूसरा आधार जिसने हमारा ध्यान खींचा है, वह यह है कि जब्त किए गए नशीले पदार्थों को लेबल और सील करने के बाद, उन्हें कलुआही पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पीडब्लू-1 को सौंप दिया गया, जो भी छापे का हिस्सा थे, लेकिन मादक पदार्थ कभी भी इस तरह के जब्त किए गए मादक पदार्थों को रखने के लिए समर्पित *मलखाने* को नहीं भेजे गए थे। वास्तव में, साक्ष्य बताते हैं कि उन्हें केवल *कलुआही* पुलिस स्टेशन के *मलखाने* में संग्रहीत किया गया था। इसने भी हमें लंबे समय तक नहीं रोका होगा, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि हमें अधिनियम की धारा 52 ए के तहत मजिस्ट्रेट की देखरेख में जब्त की गई वस्तुओं से लिए गए नमूनों के साथ-साथ स्थायी निर्देश संख्या 1/88 और 1/89 का भी कोई सबूत नहीं मिला है, जो तलाशी और छापे के समय लागू थे।

28. इस मामले के अभिलेखों के अवलोकन पर, हमने पाया है कि सामग्री प्रदर्शनों को 21.05.2015 पर अदालत के समक्ष सीलबंद स्थिति में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन वापस कर दिया गया था। बाद में, लगभग दो दिनों के बाद, उन प्रदर्शनियों/सामग्रियों को फिर से न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत किया गया एवं दंडाधिकारी द्वारा चिन्हित किया गया। इसके बाद इसे जांचकर्ता को सौंप दिया गया। अभिलेखों से केवल यह संकेत मिलता है कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को नमूने लेने की प्रक्रिया की देखरेख करने का काम सौंपा गया था। उनकी उपस्थिति में नमूने लिए गए थे या नहीं, यह अज्ञात है क्योंकि अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट को गवाह-स्टैंड पर नहीं लाया गया है।

29. इसके अलावा, हमने यह भी पाया है कि जो नमूने 27.05.2015 को तैयार किए गए प्रतीत होते हैं और एक विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजे गए थे, वे मुजफ्फरपुर, क्षेत्रीय एफएसएल में 16.07.2015 पर प्राप्त हुए थे। जाहिर है तब, ज्ञापन तैयार किया गया होगा लेकिन प्रेषण में देरी हुई थी। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि नमूना एक विशेष दूत द्वारा भेजा गया था। प्रयोगशाला में नमूना पहुँचने में डेढ़ महीने की देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सका। फिर भी, नमूनों में से एक चरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया जो भांग सतीवा पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के पत्तों और फूलों के शीर्ष से एकत्र किया गया एक कच्चा रेसिनस पदार्थ है। जिसका मुख्य मादक पदार्थ टी. एच. सी. है।

30. इसी तरह, गांजे का नमूना, जो परिणाम में भी सकारात्मक पाया गया था, कभी-कभी 27.05.2015 के बाद भेजा जाता था, लेकिन यह 16.07.2015 पर एफएसएल मुजफ्फरपुर तक पहुँच जाता था। यह भी उसी विशेष दूत द्वारा भेजा गया था। , धर्मेंद्र यादव।

31. क्या यह मजिस्ट्रेट (जिसकी जांच तक नहीं की गई है) की उपस्थिति में नमूना तैयार नहीं किए जाने और फिर उचित समय के भीतर प्रयोगशाला में नहीं भेजे जाने के बारे में गंभीर संदेह पैदा नहीं करता है?

32. इस तरह की देरी केवल अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बना देगी, विशेष रूप से जब अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत किए गए अपराधों के लिए बहुत कड़ी सजा दी जाती है।

33. अधिनियम की धारा 52 ए इस प्रकार है:-

"52 ए. जब्त मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों का निपटान- (1) केन्द्रीय सरकार, खतरनाक प्रकृति, चोरी की संवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की बाधा या किसी भी अन्य प्रासंगिक विचार को ध्यान में रखते हुए, किसी भी मादक दवाओं, मनोदैहिक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन के संबंध में, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी मादक दवाओं, मनोदैहिक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थ या परिवहन या मादक पदार्थों का वर्ग, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन का वर्ग, जिनका जब्त के बाद जितनी जल्दी हो सके, ऐसे अधिकारी द्वारा और उस तरीके से निपटान किया जाएगा जो वह सरकार समय-समय पर इसके बाद निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्धारित करे। जो उनकी जब्त के पश्चात् जितनी जल्द हो सके का निपटारा ऐसे अधिकारी द्वारा की जाए एवं सरकार समय-समय पर निश्चित करेगा एवं प्रक्रिया के निम्नलिखित अनुपालन के उपरान्त यहाँ पर निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। (2) जहाँ किसी भी [मादक पदार्थ, मनोदैहिक पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या परिवहन] को जब्त कर लिया गया है और निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेज दिया गया है, तो उप-धारा (1) में संदर्भित अधिकारी ऐसी [मादक पदार्थ, मनोदैहिक पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या परिवहन] की एक सूची तैयार करेगा जिसमें उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके, निशान, संख्या या [मादक पदार्थ, मनोदैहिक पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ] या परिवहन या पैकिंग के ऐसे अन्य पहचान विवरणों से संबंधित विवरण होंगे। वे पैक किए गए हैं, मूल देश और अन्य विवरण जैसा कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में [मादक दवाओं, मनोदैहिक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन] की पहचान के लिए प्रासंगिक विचार कर सकता है और किसी भी मजिस्ट्रेट को इस उद्देश्य के लिए आवेदन कर सकता है-

(ए) इस तरह से तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना; या
 (बी) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, [ऐसी दवाओं, पदार्थों या परिवहनों] की तस्वीरें लेना और ऐसी तस्वीरों को सही के रूप में प्रमाणित करना; या (सी) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी दवाओं या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना और इस तरह से तैयार किए गए नमूनों की किसी भी सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना।

(3) जहाँ उप-धारा (2) के तहत कोई आवेदन किया जाता है, मजिस्ट्रेट, जितनी जल्दी हो सके, आवेदन को स्वीकार करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1972 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई करने वाला प्रत्येक न्यायालय, सूची, [मादक पदार्थों, मनोदैहिक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या एवं नमूनी की ली सूची उप-धारा (2) के तहत ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में उप-धारा (2) के तहत तैयार किए गए और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नमूनों की कोई सूची।

34. धारा 52 ए के प्रावधानों का उद्देश्य जब्त मादक पदार्थों के निपटारे के लिए एक स्पष्ट तंत्र बनाना है, दोनों विशेष मामले से निपटने के उद्देश्यों के लिए और इसके बाद किसी भी अवैध उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग करने से बचाने के लिए। सक्षम अधिकारी को पर्याप्त विवरणों के साथ ऐसे नशीले पदार्थों की एक सूची तैयार करने की आवश्यकता होती है और सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से संबंधित मजिस्ट्रेट को उचित आवेदन करना आवश्यक है; उनकी उपस्थिति में प्रासंगिक तस्वीरें लेना और उन्हें सही के रूप में प्रमाणित करना; या उचित प्रमाणन के साथ उनकी उपस्थिति में नमूने लेना।

35. इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के निपटान पर मजिस्ट्रेट द्वारा पर्यवेक्षण का एक तत्व होना है। इस तरह की सूची, तस्वीरें और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन के साथ तैयार किए गए नमूनों की सूची एक प्राथमिक साक्ष्य का गठन करेगी। ऐसे सूची, तस्वीर, एवं बनाए गए नमूनों की सूची, दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्राथमिकी साक्ष्य का गठन करेगा। जब भी अधिनियम की धारा 52 ए का पालन नहीं किया जाता है, तो सूची या नमूनों की सूची किसी भी प्राथमिक साक्ष्य का गठन नहीं करेगी (**मंगीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023 एस सी सी ऑन लाइन एस सी 862** को संदर्भित करें)।

36. इस प्रावधान के पीछे स्पष्ट कारण जांच की प्रक्रिया में निष्पक्षता लाना है।

37. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमें गंभीर संदेह है कि क्या नमूने इस उद्देश्य के लिए अधिकृत मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए गए थे। यह सच है कि एक खंड विकास अधिकारी (पीडब्लू-7) छापा मारने वाली टीम का हिस्सा था और निचली न्यायालय के सामने भी पेश किया गया था, लेकिन नशीले पदार्थों के वजन और उसकी सीलिंग के संबंध में उसका सबूत अस्थिर था। छापा मारने वाली टीम का हिस्सा होने से

किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी क्योंकि वह केवल उसके द्वारा किसी भी प्रमाणन के बिना जब्ती के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है। प्रमाणन नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा दिया जाना था। इसके ऊपर, सामग्री प्रदर्शनी को भी निचली अदालत के समक्ष नहीं लाया गया था।

38. हम आश्चर्यचकित हैं कि भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इतने स्पष्ट निर्देश के बावजूद कैसे *भारत संघ बनाम मोहनलाल और अन्न (2016) 3 एस. सी. सी. 379*, इतना बड़ा नशीले पदार्थों की मात्रा एक पुलिस थाने के मलखाने में रखी गई थी। इतनी मात्रा में नशीले पदार्थों का क्या हुआ होगा, यह अभी तक अज्ञात है। जब्त मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही अधिनियम में इस तरह के अनिवार्य प्रावधान किए गए हैं।

39. ये दोनों पहलू एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को बहुत संदिग्ध बनाते हैं।

40. इन सब के अलावा, बिना किसी स्पष्टीकरण के, अजीत कुमार राय और बैदनाथ राय, दो स्वतंत्र जब्ती-सूची गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है।

41. इन सभी कारणों से, अभियोजन पक्ष ने एन. डी. पी. एस. के तहत आरोपों के संबंध में अपने मामले को खतरनाक तरीके से छोड़ दिया है।

42. हमने यह भी देखा है कि एक मोटरसाइकिल के बूट से 650 ग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसके कब्जे का पता नहीं चल सका है। अपीलार्थी/प्रमोद के मौखिक स्वीकारोक्ति के आधार पर कि ऐसी वसूली उसके ऊपर भारित थी। अपीलार्थी/प्रमोद किसी भी तरह से अपीलार्थी/रामाशीष से संबंधित प्रतीत नहीं होता है। क्या वह वहां कम मात्रा में नशीले पदार्थों के खरीदार के रूप में गया था या शिष्टाचार भेंट पर गया था, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है।

43. इस प्रकार, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, अपीलार्थी/प्रमोद के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है।

44. अब अपीलार्थी/रामाशीष के घर से बरामद आग्नेयास्त्रों के जखीरे की बात करें। हथियारों और गोला-बारूद को अलग से सूचीबद्ध, अलग और सील कर दिया गया था। बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय रिकॉर्ड में है। परीक्षण करने वाले सार्जेंट मेजर ने यह भी साबित किया है कि गोला-बारूद जीवित था और आग्नेयास्त्र व्यवहार्य थे। जाहिर है, उन्हें अपीलार्थी/रामाशीष द्वारा बिक्री के लिए रखा गया था। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलार्थी/रामाशीष के कब्जे से इतनी बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्र हथियारों की बरामदगी अपीलार्थी/रामाशीष से संबंध में अभियोजन पक्ष को बदनाम करे।

45. उपर्युक्त कारणों से, हम एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दोनों अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कानून की नजर में बुरा पाते हैं।

46. अपीलार्थी/रामाशीष सिंह को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (i) (सी), 22 (सी), 12 और 24 के तहत आरोपों से बरी कर दिया जाता है और अपीलार्थी/प्रमोद राय को भी एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (i) (सी) और 22 (सी) के तहत आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

47. जहाँ तक शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए), 25 (1-ए. ए.) और 26/35 के तहत अपीलार्थी/रामाशीष सिंह की दोषसिद्धि का संबंध है, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

48. इस प्रकार, अपीलार्थी/ प्रमोद राय (2018 का अप.अपील(खंड पीठ) सं.536) को पूरी तरह से अनुमति देते हुए, रामाशीष सिंह (2018 की अप.अपील (खंड पीठ)) सं 548 को आंशिक अनुमति दी गई।

49. अपीलार्थी/प्रमोद राय जमानत पर हैं। उसे जमानत बांड के तहत अपनी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

50. अपीलार्थी/रामाशीष सिंह 21.05.2015 से जेल में है।

51. इस प्रकार उन्होंने शस्त्र अधिनियम के तहत उन पर लगाई गई पूरी सजा काट ली है।

52. उपर्युक्त कारण से, उसे भी तत्काल जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि इसकी आवश्यकता नहीं है या किसी अन्य मामले में हिरासत में नहीं लिया गया है।

53. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और रिकॉर्ड के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।

54. इस मामले के अभिलेखों को भी तुरंत विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा।

55. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा कर दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायाधीश)

(जितेंद्र कुमार, न्यायाधीश)

राजेश/सरवर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।